

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग


क्रमांक:-एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1 | 1062 दिनांक:- 10/08/2020

परिपत्र

जनगणना-2021 के लिये प्रशासनिक इकाईयों की सीमा स्थिरीकरण (Fixing of boundaries) के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1 /1169 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना-2021 के प्रथम चरण के क्षेत्र कार्य और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा मौजूदा स्थितियों के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जनगणना-2021 के लिये राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2020 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि जनगणना-2021 का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

इसे आवश्यक समझा जावे।



(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. अधिक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच।
4. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के अ.शा. पत्रांक 9/33/2019-सीडी(सीईएन) दिनांक 28.07.2020 के संबंध में सूचनार्थ।


निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण 19, सोमवार, शाके 1942- अगस्त 10, 2020
Sravana 19, Monday, Saka 1942- August 10, 2020

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, 10 अगस्त, 2020

संख्या प-5(64)/सीओआई/सम/डीईएस:- जनगणना-2021 के लिये प्रशासनिक इकाईयों की सीमा स्थिरीकरण (Fixing of boundaries) के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1169 दिनांक 15.10.2019 के द्वारा निर्णय लिया गया था कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार जनगणना-2021 के प्रथम चरण के क्षेत्र कार्य और अन्य संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा मौजूदा स्थितियों के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जनगणना-2021 के लिये राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2020 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि जनगणना-2021 का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

इसे आवश्यक समझा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राजीव स्वरूप,

मुख्य सचिव।

3896

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।